फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नितेश | **विपक्षी : श्री जगदीश**

किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 31/25**

जीसीएमएस : 2025/58

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 09.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विड्रो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादीगण को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:35:28 IST
Reason: SelfAttested